न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2012 (उदयपुर डिक्री)

1. भोला पिता स्वर्गीय भग्गा मीणा, निवासी बीकाखेड़ा (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती सकुडी पत्नी स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भूरा पिता स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. चतरा पिता स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. केशु पिता स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती बाबुडी पुत्री स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती मांगी पुत्री स्वर्गीय भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. चुन्नीलाल पिता स्वर्गीय कालू मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. हीरालाल पिता स्वर्गीय कालू मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. रामलाल पिता स्वर्गीय कालू मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. नंगा पिता स्वर्गीय मोती मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. बाबु पिता स्वर्गीय मोती मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रदीप पिता शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. बीना पुत्री शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. ज्योति पुत्री शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. प्रमिला पुत्री शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. अनीता पुत्री शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. सुशीला बेवा शंकरलाल, निवासी सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर हाल 22, रिद्धि सिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. पटवारी, पटवार हल्का चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 29.11.2011, प्र.सं. 369 / 10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री विजय ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे. सं. 7, 8

———::———

निर्णय **दिनांक 06–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बीकाखेडा में आरजी नंबर 264, 265, 266 किता 3 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम अंकित है, जो केसरीमल पिता कजोडीमल महाजन के नाम विरासत एवं गोदनामे के आधार पर आई है। उक्त भूमि के साबिक नंबर 110 मी., 110 मी., 111 मी. थे। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। विवादित भूमि वादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 से 4 के पिता कालू जी व वादी संख्या 3 व 6 के पिता मोती जी से दिनांक 29–09–1965 को 99 / – रूपये में अलग–अलग क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से वादीगण अपने पिता के समय से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उक्त भूमि विरासत व गोदनामे से श्री

केसरीमल चपलोत से प्राप्त हुई है एवं केसरीमल द्वारा वादीगण व उनके पिता के पक्ष में दिनांक 29–09–1965 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया गया है। पिछले 45 वर्षों से वादीगण व उनके पूर्वजों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से द्वारा चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं तथा उनका कब्जा नहीं है। अतएवं वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाब पेश नहीं करना चाहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 29–11–2011 को निर्णय पारित करते हुए से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–02–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा कब्जे बाबत् मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। वादीगण का कब्जा 45 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बेहनामा अनस्टाम्प एवं अनरजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया है,

जबकि कानूनन 99/– रूपये कर विक्रय पत्र होने से रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि हालांकि विक्रय पत्र 100/– से कम का है, परन्तु प्रापर स्टाम्प पर नहीं है। अतएवं प्रथम दृष्टया उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता। तद्नुसार विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पेश शुदा विक्रय पत्र को विधिक विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता।

प्रकरण में जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम निर्णय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने नवीनतम निर्णय आर.आर.डी. 14–06–2017 पेज 352 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट आया है कि वादीगण एक ओर से विक्रय पत्र के आधार पर अपना स्वत्व बताते हैं वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहते हैं, जो विरोधाभाषी प्लीडिंग्स हैं। तद्नुसार भी वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

भोला के बजाय श्रीमती सकुडी पत्नी स्व0 भोला मीणा, निवासी बीकाखेड़ा, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **प्रदीप पिता शंकरलाल, नि. सनवाड तह0 मावली हाल – 22, रिद्धिसिद्धि नगर, प्रताप सेतु मार्ग, चित्तौड़गढ़ व अन्य**

अपील नं॰...........**33/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**मावली**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**29**...............माह..............**11**.............**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**06**.....माह........**02**.......सन् **2018** रूबरू......**पक्षकारान** व हाजरी.......**श्री विजय ओस्तवाल** ....मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री पंकज भटनागर**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**06**......माह.......**02**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।